Indian Journal of Commerce, Business & Management (IJCBM)
A Peer Reviewed Research journal of Commerce, Business & Management

ISSN : 3108-057X (Online)
3108-1282 (Print)
Vol.-2; Issue-2 (April-June) 2026
Page No.- 39-41
©2026 IJCBM
https:// ijcbm.gyanvividha.com

Author's :

डॉ. अरुणा पाठक

सहायक प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग, माता गुजरी महिला महाविद्यालय (स्वशासी) जबलपुर (म.प्र.).

Corresponding Author :

डॉ. अरुणा पाठक

सहायक प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग, माता गुजरी महिला महाविद्यालय (स्वशासी) जबलपुर (म.प्र.).

ग्रामीण परिवारों की आय वृद्धि में सरकारी योजनाओं की भूमिका : जबलपुर जिले का अध्ययन

प्रस्तावना : भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ आज भी अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने तथा गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है। विशेष रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तथा स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं ने ग्रामीण जीवन स्तर में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का प्रयास किया है।

मध्यप्रदेश का जबलपुर जिला सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियों पर निर्भर हैं। इन क्षेत्रों में रोजगार की कमी, सीमित आय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव तथा आधारभूत संरचनाओं की कमी जैसी समस्याएँ लंबे समय से विद्यमान रही हैं। ऐसे में विभिन्न सरकारी योजनाएँ ग्रामीण परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

मनरेगा योजना के माध्यम से ग्रामीण श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है तथा पलायन की प्रवृत्ति में कमी आई है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीब परिवारों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा गया है, जिससे परिवारों की आय में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना द्वारा किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे कृषि निवेश एवं उत्पादन क्षमता में सुधार हुआ है।

जबलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन यह समझने के लिए आवश्यक है कि सरकारी योजनाएँ वास्तव में ग्रामीण परिवारों की आय वृद्धि में किस सीमा तक सहायक सिद्ध हुई हैं। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करना तथा यह जानना है कि इन योजनाओं ने ग्रामीण परिवारों की आय, रोजगार, जीवन स्तर एवं आर्थिक सुरक्षा में किस प्रकार योगदान दिया है।

अतः यह अध्ययन ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन की दिशा में संचालित सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो भविष्य में नीति निर्माण एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

शब्द कुंजी : कल्याणकारी योजनाएँ, ग्रामीण रोजगार, गरीबी उन्मूलन, आर्थिक सशक्तिकरण।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना : दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य से प्रारंभ की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना 25 सितम्बर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार योग्य बनाना है।

इस योजना के अंतर्गत 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं को विभिन्न व्यवसायिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। विशेष परिस्थितियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, दिव्यांग तथा अन्य वंचित वर्गों के लिए आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान है। योजना के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण के साथ–साथ रोजगार प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, बेरोजगारी कम करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है। योजना के प्रारंभिक वर्ष 2014–15 में लगभग 52,000 युवाओं को विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया था। यह योजना ग्रामीण युवाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने तथा उन्हें स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (डळछत्म्ळ।) भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू किया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम 2005 में पारित किया गया तथा 2 फरवरी 2006 से देशभर में चरणबद्ध रूप से लागू किया गया। इसे संक्षेप में मनरेगा कहा जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करना तथा ग्रामीण विकास को गति देना है।

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के ऐसे वयस्क सदस्यों को, जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान की जाती है। यदि निर्धारित समयावधि में रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी है। मनरेगा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्रामीण गरीबों की आय में वृद्धि करना, पलायन को कम करना तथा ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना है।

योजना में महिलाओं की भागीदारी को विशेष महत्व दिया गया है तथा कम से कम एक–तिहाई रोजगार महिलाओं को प्रदान करने का प्रावधान है। वर्तमान में अनेक राज्यों में महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत से अधिक है। योजना के वित्तीय व्यय का अधिकांश भाग केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जबकि राज्य सरकारें भी निर्धारित अंशदान प्रदान करती हैं। मनरेगा के अंतर्गत जल संरक्षण, सिंचाई सुविधाओं का विकास, ग्रामीण सड़क निर्माण, भूमि सुधार तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन : राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (छंजपवदंस त्नतंस स्पअमसपीववक डपेपवद – छत्स्ड) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। इसे वर्ष 2011 में प्रारंभ किया गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों, विशेषकर महिलाओं, को संगठित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा उनकी आय में वृद्धि करना है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संगठित किया जाता है। इन समूहों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, कौशल विकास, उद्यमिता विकास तथा बैंक ऋण की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना तथा उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है।

इस योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। समूहों को स्वरोजगार, लघु उद्योग, कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियों, पशुपालन तथा अन्य आयवर्धक कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पूर्व में संचालित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (ैळै) का पुनर्गठित एवं उन्नत स्वरूप है। यह मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन, सामाजिक विकास तथा गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके माध्यम से लाखों ग्रामीण परिवारों को आजीविका के स्थायी साधन उपलब्ध हुए हैं तथा उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (च्तंकींद डंदजतप ळतंउ ैकां ल्वरंदं – च्डळै) भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक प्रमुख केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे बसाहटों को सर्व–ऋतु (बारहमासी) सड़कों से जोड़ना है, जो अब तक सड़क संपर्क से वंचित रहे हैं।

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं का विकास करना, ग्रामीण जनता की बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार तक पहुंच को आसान बनाना तथा ग्रामीण विकास को गति प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक जनसंख्या वाले तथा पहाड़ी, जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में 250 या उससे अधिक जनसंख्या वाले बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इससे ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विपणन तथा अन्य आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्राप्त हुई है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों

में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है तथा रोजगार और आय के अवसरों में वृद्धि हुई है। वर्ष 2017 तक इस योजना के अंतर्गत अधिकांश पात्र ग्रामीण बसाहटों को सड़क संपर्क से जोड़कर निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई।

ग्रामीण विकास हेतु अन्य प्रमुख योजनाएँ : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अतिरिक्त भारत सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण विकास के लिए अनेक योजनाएँ संचालित की गई हैं। इनमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952), खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यक्रम (1953), कुआँ निर्माण योजना (1966), विशेष दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम (1975), ग्रामीण युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (प्क्च्), लघु एवं कुटीर उद्योग विकास कार्यक्रम, पंचायती राज व्यवस्था, तथा अन्य रोजगारोन्मुखी एवं विकासपरक योजनाएँ शामिल हैं। इन सभी योजनाओं का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, स्वरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है। साथ ही, ग्रामीण रोजगार के अवसरों का सृजन कर गरीबी और बेरोजगारी को कम करना भी इनका प्रमुख लक्ष्य रहा है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य ग्रामीण जनता को आत्मनिर्भर बनाना, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना तथा उनमें प्रगतिशील दृष्टिकोण का विकास करना रहा है। इसलिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शिक्षा के प्रसार, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, भूमि सुधार, ग्रामीण आवास, सड़क निर्माण, स्वच्छता, लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास तथा रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया है। इन योजनाओं ने ग्रामीण समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं नैतिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा ग्रामीण भारत के समग्र विकास को नई दिशा प्रदान की है।

उपसंहार : ग्रामीण विकास किसी भी राष्ट्र के समग्र विकास का आधार होता है। भारत की अधिकांश जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना राष्ट्रीय विकास की प्राथमिक आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा समय–समय पर अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि, रोजगार के अवसरों का सृजन, आधारभूत संरचनाओं का विकास तथा ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में सुधार लाना है।

जबलपुर जिले में सभी योजनाओं के संचालन से ग्रामीणों के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए शीतगृह एवं गोदामों का निर्माण, नियमित कृषि मंडियों की स्थापना, परिवहन एवं संचार सुविधाओं का विस्तार, कृषि उत्पादों के श्रेणीकरण एवं मानकीकरण की व्यवस्था तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे अनेक उपाय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा अन्य विकासोन्मुखी कार्यक्रमों ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आय एवं आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यद्यपि इन योजनाओं पर सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तीय संसाधन व्यय किए जाते हैं, फिर भी इनका अपेक्षित लाभ सभी ग्रामीणों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है। योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रशासनिक जटिलताएँ, भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी, मध्यस्थों की भूमिका तथा जागरूकता के अभाव जैसी समस्याएँ अक्सर सामने आती हैं, जिसके कारण लाभार्थियों को योजनाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए ग्राम पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों तथा स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही, योजनाओं की नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन की व्यवस्था भी सुदृढ़ की जानी चाहिए, ताकि योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक पहुँच सके।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यदि ग्रामीण विकास योजनाओं का ईमानदारी एवं प्रभावशीलता के साथ क्रियान्वयन किया जाए, तो ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी, बेरोजगारी एवं अविकास की समस्याओं को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। इससे न केवल ग्रामीण जनता का जीवन स्तर बेहतर होगा, बल्कि देश के समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास को भी नई दिशा प्राप्त होगी।

संदर्भ :

1. दुबे, अभय कुमार,–***लोकतंत्र के सात अध्याय,*** वाणी प्रकाषन, नई दिल्ली, 2002, पृ. 77–79.
2. गुप्ता, विश्वप्रकाश एवं मोहिनी–**भारत में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन**', राधा पब्लिकशन, नई दिल्ली 2006, पृ. 314–315
3. शैलेन्द्र–***सरकार की नयी नीतियों का ग्रामीण विकास पर असर,*** कुरूक्षेत्र (मासिक), प्रकाषन विभाग, नई दिल्ली, जून 1992, वर्ष 37, अंक 8, पृ. 26.
4. मोदी, डॉ. अनिता–***ग्रामीण विकास में संस्थागत ऋण की भूमिका,*** कुरूक्षेत्र (मासिक) प्रकाषन विभाग, नई दिल्ली, जून –2011, वर्ष 57, अंक 8, पृ. 28.
5. गांधी, महात्मा–***पष्चिमः खरा और खोटा,*** सर्व सेवा संघ प्रकाषन, वाराणसी, 2003,पृ. 31
6. नारायण, जयप्रकाष –***भारतीय राज्य व्यवस्था की पुनर्रचनाः एक सुझाव,*** सर्व सेवा संघ–प्रकाषन, वाराणसी, 2002, पृ. 45.

•